राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

कमाँक स03–6(4)स्था/मंत्रा/अभि/2018/ 8483-92 दिनाँक 24.7.20

-: आदेश :-

श्री सत्यपाल सागर पुत्र स्व0 श्री रामभरोसी, कनिष्ठ सहायक जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा आयोजित टंकण गति परीक्षा दिनांक 25.02.18 को सम्मिलित हुए। जिला कलेक्टर– भरतपुर द्वारा दिनांक 25.02.2018 को आयोजित टंकण परीक्षा में इनको उर्त्तीण घोषित कर, प्रमाण पत्र रोल नम्बर 5074 क्रमांक 3456 दिनांक 16.5.2018 जारी किये जाने एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 02.06.2020 के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32–33 के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण दिनाँक 25.07.2019 का पुनर्विलोकन करने हेतु दिनाँक 24.07.2020 को पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

श्री सत्यपाल सागर पुत्र स्व0 श्री रामभरोसी, कनिष्ठ सहायक को जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा दिनांक 25.02.2018 को आयोजित टंकण परीक्षा में उर्त्तीण घोषित किये जाने के फलस्वरूप समिति ने सत्यपाल सागर, कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2018–19 में दिनांक 01.04.2018 को उपलब्ध रिक्ति के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल –08 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्रीमती सन्तोष से नीचे एवं श्रीमती शीला देवी से उपर रहेगी। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होगें। श्री सत्यपाल सागर का पदस्थापन वर्तमान कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन–भरतपुर में वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है।

(वी0 सरवन कुमार)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप/सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
3. प्रशासनिक अधिकारी/ अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
4. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय ।
5. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर